Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1.प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/5379/2006/कोटा

1– अमरलाल वल्द बजरंग लाल कांछी, निवासी करवाड, तहसील पीपलदा, जिला कोटा।
2– सूरजमल पुत्र श्रीलाल, जाति माली, निवासी करवाड, तहसील पीपलदा, जिला कोटा।
3– प्रहलाद पुत्र श्रीलाल जाति माली, निवासी करवाड, तहसील पीपलदा, जिला कोटा।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड, नाथद्वारा, जिला उदयपुर जरिये मुख्य निष्पादन अधिकारी, टेम्पल बोर्ड।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपलदा, जिला कोटा।

....रैस्पोडेंट

खण्ड – पीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थितः–
श्री खडग सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री डूँगर सिंह राठौड, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 28–02–2018

हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण अपील संख्या 140/2004 अनुवानी अमरलाल वगैराह बनाम नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–07–2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या–1 की ओर से विचारण न्यायालय उप जिलाधीश, कोटा के न्यायालय में अधिनियम, 1955 की धारा 88, 91, 183 के अन्तर्गत वादपत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम करवाड स्थित आराजी खसरा नम्बर 1026/640, 640, 641, 638 मूर्ति श्रीनाथ जी विराजमान नाथद्वारा माफी खुद काश्त की भूमि रही है और यह आराजी बन्दोबस्त रिकार्ड में खुदकाश्त में अंकित रही है। इस प्रकार मूर्ति श्रीनाथ जी इस आराजी के खातेदार कृषक हैं। नाबालिग की भूमि पर प्रतिवादीगण या अन्य किसी को खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती है। तहसीलदार द्वारा अविधिक रुप से उक्त आराजी को सिवाय चक अंकित

कर दिया और इसके उपरान्त दिनांक 19–1–1978 को अवैध रुप से उक्त आराजी में से 14 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 को, 14 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 को तथा 14 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 को आवंटित कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को इस आवंटन से किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने इस आराजी पर अविधिक रुप से कब्जा कर लिया है। वादपत्र में अनुतोष चाहा गया कि दावा वादी डिक्री कर प्रश्नगत खसरा नम्बर 640 रकबा 49 बीघा 10 बिस्वा पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाये और वादी को राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज किया जाये और प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वापिस वादी को दिलाया जाये।

3– प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद से असहमति जारि करते हुये वादी के वाद को खारिज करने का निवेदन किया।

4– उपजिलाधीश, कोटा ने निर्णय दिनांक 8–8–1984 से दावा वादी खसरा नम्बर 640 रकबा 49 बीघा 11 बिस्वा के सम्बन्ध में वादी का वाद डिक्री किया, जिसके विरुद्ध अमरालाल वगैरा द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने निर्णय दिनांक 19–1–1988 से अपील को आंशिक स्वीकार कर इन निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया कि "वाद में मियाद के सम्बन्ध में तनकी बनाई जाये एवं गवाह उमाशंकर से अपीलार्थी को जिरह का अवसर देवें, यदि गवाह उमाशंकर उपलब्ध न हो तो अन्य गवाह पेश करने की रैस्पो0 को अनुमति दी जाये।"

5– प्रकरण रिमाण्ड हो कर प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, इटावा ने पुनः दिनांक 19–10–2004 को निर्णय पारित किया जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी, कोटा के पूर्व निर्णय दिनांक 8–8–1984 को यथावत रखा गया। इस निर्णय के विरुद्ध अपील संख्या 140/2004 अपीलार्थी अमरलाल वगैरा द्वारा प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–7–2006 से अपील अस्वीकार की है। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

6 उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

7– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी/रैस्पो0 संख्या–1 द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया था उसमें प्रश्नगत भूमि को स्वयं के खुदकाश्त की भूमि होना बताते हुये व अति0 कलक्टर द्वारा प्रतिवादी/अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवंटनों को अनियमितत बताते हुये, वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करने में परीक्षण न्यायालय ने एवं इस निर्णय को प्रथम अपील में यथावत रखने में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने कानूनी

प्रावधानों की अवहेलना की है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया कि अपीलार्थीगण को आवंटन राजकीय भूमि में से किया गया है क्योंकि माफी रिज्यूम होने से प्रश्नगत आराजी मंदिर की खुदकाश्त में नहीं रही और भूमि को विधिवत रुप से पूर्व में राजकीय खाते में दर्ज किया गया है और फिर दिनांक 19–1–1978 से अपीलार्थीगण के पक्ष में आवंटन किया गया है। माफी रिज्यूम करने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है। ना ही अपीलार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील आदि की कार्यवाही ही की गई है। अपीलार्थीगण के पक्ष में आवंटन आदेश आदिनांक तक बहाल है, जिसे निरस्त कराये बिना किसी प्रकार का अनुतोष वादी को प्रदान नहीं किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे ये भी कथन किया कि अपीलार्थीगण को जिरह करने का किसी प्रकार का कोई मौका प्रदान नहीं किया गया है और किसी तनकी को विवेचित नहीं किया गया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करने का निवेदन किया।

8– प्रत्यर्थी पक्ष के योग्य अधिवक्तागण ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि वादी/रैस्पो0 संख्या–1 की खुदकाश्त की भूमि रही है और रैस्पो0 संख्या–1 अवयस्क है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 (1) (क) तथा धारा 5 (25) के परन्तुक के प्रयोजन से हिन्दू देवता या मूर्ति एक अवयस्क की स्थिति में है और अवयस्क होने से इन्हें धारा 46–क के तहत संरक्षण प्राप्त है और इस प्रकार की भूमि पर किसी को भी खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। राजस्व नियमों (Revenue Laws) के प्रावधानों के अनुसार मंदिर मूर्ति की भूमि पर काश्त किसी के भी द्वारा की जाये वह काश्त मंदिर की ओर से ही की गई मानी जायेगी और इस प्रकार की भूमि पर काश्त के आधार पर पुजारी/सैवत या काश्त करने वाले को किसी भी प्रकार से स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत भूमि मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त की होने से राजकीय भूमि घोषित करना ही गलत था और वह आवंटन के लिये उपयुक्त भूमि की श्रेणी में नहीं रही थी। अतः नियमों व प्रावधानों के आधार पर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन के आधार पर उन्हें कोई स्वत्व हासिल नहीं हो सकते हैं और उनकी स्थित मात्र एक अतिक्रमी की ही रहती है। धारा 183, अधिनियम, 1955 के प्रावधान अतिक्रमी को बेदखली कर विधिक व्यक्ति को कब्जा प्राप्त करने के लिये ही हैं, अतः विचारण न्यायालय द्वारा वादी के 183 के वाद को डिक्री करने में कोई भूल नहीं की है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी इस निर्णय को पुष्ट किया है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से, अपील खारिज की जावे।

9– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

10– प्रकरण मे परीक्षण करने पर स्थिति स्पष्ट है कि ग्राम करवाड स्थित आराजी खसरा नम्बर 640, 641, 638 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 लगायत 2028 में **"माफी पुण्यार्थ मंदिर श्रीनाथ जी विराजमान नाथद्वारा"** अंकित रही है। नामांतरकरण संख्या 703, नामांतरकरण संख्या 704, नामांतरकरण संख्या 705 प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में 14–14–14 बीघा भूमि का गैर खातेदारी का आवंटन के आधार पर स्वीकार किया गया है। प्रकरण में मुख्य रुप से परीक्षण योग्य बिन्दु यही है कि आया मंदिर मूर्ति की भूमि को किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में आवंटन किया जा सकता है? आया प्रतिवादी–आवंटीगण को मंदिर मूर्ति की भूमि पर आवंटन के आधार पर किसी प्रकार के स्वत्व अर्जित होते हैं? विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर तनकी संख्या–2 तथा तनकी संख्या–3 विनिर्मित की गई हैं। तनकी संख्या 1,2,3 को परीक्षण न्यायालय ने एक साथ निर्णित किया है और इसमें स्पष्ट रुप से अभिमत पारित किया गया है कि "माफी रिज्यूम होने के पश्चात् राजस्व कर्मचारी मूर्ति श्री नाथ जी की आराजी को सिवाय चक दर्ज नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि किस आदेश से आराजी को सिवाय चक अंकित किया गया।" हमारा सुविचारित मत है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के इस मत में किसी प्रकार की कानूनी भूल नहीं है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत रुप से नाबालिग की श्रेणी में आती है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46–1(क) के प्रवधानों के तहत नाबालिग की भूमि को किसी के पक्ष में ना तो हस्तान्तरित किया जा सकता है और ना ही किसी प्रकार के स्वत्व हस्तांतरिती को प्राप्त हो सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(25) के तहत अवयस्क की भूमि उसके द्वारा वैयक्तिक रुप से जोती गई भूमि ही समझी जायेगी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 (1) (क) तथा धारा 5 (25) के परन्तुक के प्रयोजन से हिन्दू देवता या मूर्ति एक अवयस्क की स्थिति में है और अवयस्क होने से इन्हें धारा 46–क के तहत संरक्षण प्राप्त है और इस प्रकार की भूमि पर किसी को भी खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इसके अलावा हमारा ये भी मत है कि जब प्रश्नगत भूमि मंदिर मूर्ति के स्वामित्व की भूमि थी और इसे धारा 46–1(क) के तहत संरक्षण प्राप्त रहा है तो इस आराजी को सिवाय चक किस प्रकार से किया गया। पत्रावली पर इस आशय की कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी नहीं रही है कि किस सक्षम आदेश के तहत भूमि को सिवाय चक अंकित किया गया है। प्रश्नगत भूमि मंदिर मूर्ति खुदकाश्त में होने से, माफी रिज्यूम होने के पश्चात् मंदिर मूर्ति के नाम अंकित किया जाना चाहिए था, क्योंकि माफी के पुनर्ग्रहण पर देवमूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो जाते हैं, जब कि अविधिक रुप से इसे सिवाय चक अंकित कर प्रतिवादीगण के पक्ष में आवंटित कर दिया गया।

11– धारा 183 कतिपय अतिचारियों के विरुद्ध बेदखली बाबत् है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाते हुये मंदिर मूर्ति की भूमि का अपीलार्थीगण के पक्ष में आवंटन किया गया है तो आवंटीगण को आवंटन के आधार पर किसी प्रकार के विधिक स्वत्व अर्जित नहीं हो सकते हैं, विधि के किसी भी उपबन्ध के अधीन मंदिर मूर्ति की भूमि पर आवंटीगण/अपीलार्थीगण को अधिकार अर्जित नहीं हो सकते हैं और प्रतिवादीगण का कब्जा विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से उनके विरुद्ध धारा 183 के तहत अनुतोष प्राप्त करने के वादी अधिकारी हैं और अपीलार्थीगण बेदखली के दायी होंगे। विचारण न्यायालय ने विधिवत रुप से तनकीवार विवेचन करते हुये अपना निष्कर्ष पारित किया है और इस निर्णय को पुष्ट करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की तथ्यों सम्बन्धी या कानून की विवेचना सम्बन्धी कोई भूल नहीं की है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित होने से व इनमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं होने से, हस्तगत द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन पाए जाने से खारिज योग्य रहती है। फलतः हस्तगत अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष